संख्या-45/2024/आई/767227/2024/001-23-14002(002)/11/2024

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक 10.10.2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत बरेली क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के कुल 96 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-624सी/386सी-गन्ना बदायूं भाग-1/24-25, दिनांक 21.08.2024, पत्रांक-676सी/384सी-गन्ना शाहजहांपुर भाग-2/24-25, दिनांक 23.08.2024, पत्रांक-734सी/385सी-गन्ना पीलीभीत/24-25, दिनांक 28.08.2024, पत्रांक-733सी/385सी-गन्ना पीलीभीत/24-25, दिनांक 28.08.2024, पत्रांक-792सी/383सी-बरेली भाग-4/24-25, दिनांक 02.09.2024 एवं पत्रांक-793सी/385सी-गन्ना पीलीभीत भाग-4/24-25, दिनांक 02.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत बरेली क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से प्राप्त अधोलिखित तालिका में उल्लिखित 96 कार्यो, जिनके सम्मुख कॉलम-8 में 5 वर्षीय अनुरक्षण सहित कार्य की अंकित लागत, जिसका कुल योग रू0 6981.81 लाख (रूपये उनहत्तर करोड़ इक्यासी लाख इक्यासी हजार मात्र) होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागत के सापेक्ष कॉलम-9 में अंकित कुल रू0 2167.43 लाख (रू0 इक्कीस करोड़ सड़सठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य योजना का क्रमांक	जनपद	मार्ग का नाम/ प्रोजेक्ट कोड	लम्बाई किमी में	निर्माण की लागत	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत	कुल लागत (6+7)	प्रस्तावित धनावंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	239	नि0ख0-2 बदायूं	बढोभर कुईया प्र./द्वि. बिल्सी मार्ग से भरकुईया मार्ग (202400003100379)	2.29	107.55	6.58	114.13	35.49
2	242	नि0ख0-2 बदायूं	बदायूं बरेली मार्ग से दिउरियाजीत सम्पर्क मार्ग	1.31	60.88	3.64	64.52	20.09
3	556	नि0ख0-1 शाहजहांपुर	राजनपुर से शेरगढ़ सम्पर्क मार्ग (202400003100380)	1.82	96.38	7.00	103.38	31.81
4	568	नि0ख0-1 शाहजहांपुर	कुरियांकला चोहनापुर मार्ग से फतेपुर ताहरपुर मार्ग	0.975	68.37	3.79	72.16	22.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	570	नि0ख0-1 शाहजहांपुर	कटरा जलालाबाद रोड से करनपुर पडरी सम्पर्क मार्ग	1.20	73.97	5.37	79.34	24.41
6	572	नि0ख0-1 शाहजहांपुर	गुमटा से कुर्रिया ढोढो	1.00	51.01	3.70	54.71	16.83
7	573	नि0ख0-1 शाहजहांपुर	फतेहगंज गौहापुर सम्पर्क मार्ग से वाया भगतपुर गोविन्दपुर	1.00	41.61	3.02	44.63	13.73
8	548	प्रा0ख0 शाहजहापुर	जलालपुर से बादशाहनगर (202400003100381)	1.00	147.49	6.30	153.79	48.67
9	550	प्रा0ख0 शाहजहापुर	खुदागंज-निगोही मार्ग से बण्डिया सम्पर्क मार्ग	0.70	56.67	3.19	59.86	18.70
10	551	प्रा0ख0 शाहजहापुर	पुवांया जे बी मार्ग से ढकिया खुर्द	0.30	31.09	0.75	31.84	10.26
11	554	प्रा0ख0 शाहजहापुर	भूड़िया से अलियापुर सम्पर्क मार्ग	1.00	62.56	4.37	66.93	20.64
12	555	प्रा0ख0 शाहजहापुर	नाहिल गुलौली मार्ग से बेलाबाली मार्ग (202400003100382)	2.00	96.18	6.77	102.95	31.74
13	558	प्रा0ख0 शाहजहापुर	पुवांया नाहिल मार्ग से उमरसण्डा	0.60	26.60	1.93	28.53	8.78
14	559	प्रा0ख0 शाहजहापुर	बण्डा बिलसण्डा मार्ग से कल्यानपुर भारती	1.50	64.96	4.70	69.66	21.44
15	560	प्रा0ख0 शाहजहापुर	परसौना खलीलपुर से विलगौटिंया	0.70	52.80	2.58	55.38	17.42
16	561	प्रा0ख0 शाहजहापुर	कटरा खुदागंज मार्ग से फुलवा सम्पर्क मार्ग (202400003100383)	1.10	118.40	6.36	124.76	39.07
17	562	प्रा0ख0 शाहजहापुर	दढ़िया चौढ़ेरा खदहाबाबा से पकड़िया सम्पर्क मार्ग (202400003100384)	2.00	140.39	10.06	150.45	46.33
18	563	प्रा0ख0 शाहजहापुर	नया गांव से रूजवारी सम्पर्क मार्ग (202400003100385)	1.40	140.45	8.50	148.95	46.35
19	564	प्रा0ख0 शाहजहापुर	पुवांया बण्डा मार्ग से टेहरी ठुकरी मार्ग	0.55	24.50	1.78	26.28	8.09
20	565	प्रा0ख0 शाहजहापुर	पुवाया खुटार मार्ग से रूजहा खुर्द मार्ग प्रथम भाग (202400003100411)	1.70	94.71	6.88	101.59	31.25
21	470	प्रा0ख0 पीलीभीत	गजरौला माला रोड से नगफन गांव तक	1.40	55.10	4.00	59.10	18.18
22	471	प्रा0ख0 पीलीभीत	वनकटी पंडरी मार्ग से कल्लिया नहर तक	1.30	65.32	4.35	69.67	21.56
23	472	प्रा0ख0 पीलीभीत	पाण्डेय कालोनी से मन्दिर तक	0.32	31.81	0.77	32.58	10.50
24	473	प्रा0ख0 पीलीभीत	गजरौला माला रोड से बिन्दरा आदि फार्म की ओर	1.00	39.21	2.85	42.06	12.94
25	474	प्रा0ख0 पीलीभीत	नहर से बसन्तपुर मार्ग।	0.80	38.57	2.80	41.37	12.73
26	475	प्रा0ख0 पीलीभीत	शाहगढ़ मथना कुवॅरपुर मार्ग।	0.40	41.73	1.01	42.74	13.77

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

27	476	प्रा0ख0 पीलीभीत	आसाम रोड सिसैया से गजरौला कलाखुर्द मार्ग द्वितीय भाग।	1.18	66.33	4.65	70.98	21.89
28	477	प्रा0ख0 पीलीभीत	शाहगढ स्कूल के पास से पुरानी पुलिया से मानपुर मार्ग (202400003100387)	1.90	111.52	6.45	117.97	36.80
29	479	प्रा0ख0 पीलीभीत	कसगंजा नबीची सिमरा मार्ग।	0.53	28.26	2.05	30.31	9.33
30	480	प्रा0ख0 पीलीभीत	बहरूआ गांव से रानी कालोनी गांव तक	1.00	36.44	2.65	39.09	12.03
31	481	प्रा0ख0 पीलीभीत	टोडरपुर बहरूआ से डियूनीडाम रोड तक।	1.60	62.36	4.53	66.89	20.58
32	482	प्रा0ख0 पीलीभीत	डियूनीडाम रोड से बहरूआ कालोनी मार्ग	1.375	92.34	3.53	95.87	30.47
33	489	प्रा0ख0 पीलीभीत	कल्यानपुर नहर से पुरवा भूड़ा मार्ग	0.80	54.46	2.28	56.74	17.97
34	490	प्रा0ख0 पीलीभीत	टनकपुर पीलीभीत रेलवे लाइन गौहनिया से बरहा वृद्वा आश्रम बीसलपुर रेलवे लाइन तक (202400003100388)	1.95	128.07	5.95	134.02	42.26
35	491	प्रा0ख0 पीलीभीत	कुर्री टंडोला मार्ग	0.60	58.41	1.41	59.82	19.28
36	492	प्रा0ख0 पीलीभीत	न्यूरिया महोफ मार्ग से मानपुर गांव तक	0.60	24.72	1.79	26.51	8.16
37	493	प्रा0ख0 पीलीभीत	कल्यानपुर सिरसा सरदाह मार्ग से दियूरी दियूरा मार्ग	1.50	86.45	3.94	90.39	28.53
38	494	प्रा0ख0 पीलीभीत	बिथरा सोसाइटी से पी.एम.जी.एस.वाई. रोड	1.00	44.23	3.21	47.44	14.60
39	495	प्रा0ख0 पीलीभीत	मझोला ड्यूनीडाम मार्ग से गिधौर मार्ग	1.62	57.85	4.20	62.05	19.09
40	496	प्रा0ख0 पीलीभीत	जोगराजपुर पटयन से ककरौआ मार्ग	0.95	65.50	3.33	68.83	21.62
41	497	प्रा0ख0 पीलीभीत	घुंघचिहाई से डूडा कालौनी (202400003100389)	2.00	143.98	10.56	154.54	47.51
42	114	प्रा0ख0 बरेली	मुडिया नवी बख्श रोड से कुलुआडांडा	0.85	39.70	2.45	42.15	13.10
43	115	प्रा0ख0 बरेली	जोखनपुर से पुरैनिया मार्ग से डंडियानगला	0.90	36.62	2.66	39.28	12.08
44	116	प्रा0ख0 बरेली	पुरैनिया से मिन्तरपुर मार्ग	1.00	40.69	2.95	43.64	13.43
45	117	प्रा0ख0 बरेली	वसुधरन रोड से तकिया	0.90	39.34	2.37	41.71	12.98
46	126	प्रा0ख0 बरेली	उगनपुर से इग्राह मार्ग	1.30	57.19	3.30	60.49	18.87
47	127	प्रा0ख0 बरेली	उनई- नवायल मार्ग प्रथम भाग	2.00	81.51	5.92	87.43	26.90
48	128	प्रा0ख0 बरेली	उनई- नवायल मार्ग द्वितीय भाग	2.00	81.77	5.94	87.71	26.98
49	129	प्रा0ख0 बरेली	पचपेड़ा से ग्वारी मार्ग	2.00	86.58	5.31	91.89	28.57
50	131	प्रा0ख0 बरेली	मुडिया नवी बख्श रोड से डंडिया मिन्तरपुर (202400003100393)	4.50	183.30	13.44	196.74	60.49

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

51	132	प्रा0ख0 बरेली	भूड़ा मार्ग से विशनपुर गुलड़िया मार्ग	1.30	55.70	3.42	59.12	18.38
52	133	प्रा0ख0 बरेली	नवायल से भकावा (202400003100390)	3.00	150.50	11.04	161.54	49.67
53	134	प्रा0ख0 बरेली	बालपुर कस्बापुर मार्ग	1.70	73.68	4.54	78.22	24.31
54	135	प्रा0ख0 बरेली	शेरगढ़ रोड से जशनपुर गहलुइया	1.785	78.75	4.45	83.20	25.99
55	136	प्रा0ख0 बरेली	बरा बरार मार्ग से उन्हैंनीजागीर मार्ग	1.50	62.28	4.28	66.56	20.55
56	137	प्रा0ख0 बरेली	सिरसा फार्म से नदी तक	2.20	90.68	6.20	96.88	29.92
57	138	प्रा0ख0 बरेली	कनमन से गोपालपुर मार्ग	1.14	47.03	3.42	50.45	15.52
58	139	प्रा0ख0 बरेली	मुडिया नवी बख्श रोड से घाटगॉव	1.20	74.34	3.23	77.57	24.53
59	140	प्रा0ख0 बरेली	पंडेरा से कंचनपुर	1.80	75.21	5.18	80.39	24.82
60	141	प्रा0ख0 बरेली	डंडियानगला से मिन्तरपुर	1.60	67.91	4.21	72.12	22.41
61	142	प्रा0ख0 बरेली	दमखोदा नदी पुल से ब्लाक मुख्यालय तक	0.91	65.94	2.35	68.29	21.76
62	145	प्रा0ख0 बरेली	चक नरकुन्डा से जाम खजूर मार्ग	2.00	62.78	4.56	67.34	20.72
63	147	प्रा0ख0 बरेली	मनकरी से ठिरिया खेतल	1.45	63.46	4.22	67.68	20.94
64	149	प्रा0ख0 बरेली	शरीफनगर इटौआ से रोहली प्रथम व तृतीय भाग	1.975	83.41	6.06	89.47	27.53
65	151	प्रा0ख0 बरेली	मिलक करनपुर से अम्रता	1.80	91.00	5.47	96.47	30.03
66	120	प्रा0ख0 बरेली	बन्जरिया से मकसूदनपुर मार्ग	1.50	62.06	4.35	66.41	20.48
67	121	प्रा0ख0 बरेली	गुरसौली नौगवां गुरभोज मार्ग द्वितीय भाग	1.50	61.35	4.22	65.57	20.25
68	123	प्रा0ख0 बरेली	कताई मिल रोड से फाजिलपुर मार्ग	1.50	63.55	3.79	67.34	20.97
69	124	प्रा0ख0 बरेली	हरहरपुर से लक्ष्मीपुर मौलानाफार्म नहर पटरी	2.00	80.33	5.83	86.16	26.51
70	125	प्रा0ख0 बरेली	मौलाना फार्म से बसेगा मार्ग	2.00	80.87	5.87	86.74	26.69
71	144	प्रा0ख0 बरेली	धीमरी से असुआ	1.30	64.18	4.66	68.84	21.18
72	146	प्रा0ख0 बरेली	कुण्डरा से भंगा मार्ग	1.50	62.19	4.52	66.71	20.52
73	148	प्रा0ख0 बरेली	नैनीताल रोड से भैहपुरा	0.80	39.90	1.91	41.81	13.17
74	150	प्रा0ख0 बरेली	नैनीताल रोड से पट्टी बिहारी पुर	1.40	68.38	4.96	73.34	22.57
75	152	प्रा0ख0 बरेली	खितौसा से गोटिया	1.75	88.71	4.92	93.63	29.27
76	153	प्रा0ख0 बरेली	बिलवा फार्म से आसपुर पीतमराम	1.50	74.39	5.40	79.79	24.55
77	119	नि0ख0-1 बरेली	मकरन्दपुर धाराजीत मार्ग अवशेष भाग	0.34	42.47	1.35	43.82	14.02
78	154	नि0ख0-1 बरेली	मीरगंज से सिल्लापुर से खमरिया	1.00	55.72	4.05	59.77	18.39
79	155	नि0ख0-1 बरेली	सुनौरा गोटिया से शहबाजपुर मार्ग	1.20	53.42	3.88	57.30	17.63
80	483	नि0ख0-1 पीलीभीत	नॉद से देव स्थल जमुनिया ता0 ईटगॉव सम्पर्क मार्ग प्रथम भाग।	0.70	35.56	2.58	38.14	11.73

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

81	484	नि0ख0-1 पीलीभीत	कुरैया खुर्द से मकरन्दपुर मार्ग	0.49	31.71	1.34	33.05	10.46
82	485	नि0ख0-1 पीलीभीत	पीलीभीत-बीसलपुर मार्ग से संडिया मार्ग।	1.27	59.26	3.43	62.69	19.56
83	486	नि0ख0-1 पीलीभीत	बरखेड़ा यासीन से चन्दपुरा मार्ग।	1.00	39.81	2.89	42.70	13.14
84	487	नि0ख0-1 पीलीभीत	मुड़िया हुलास से कटकवारा मार्ग।	1.20	46.72	3.39	50.11	15.42
85	488	नि0ख0-1 पीलीभीत	बहती से पस्तौर कुंईया मार्ग	1.60	81.60	5.93	87.53	26.93
86	498	नि0ख0-1 पीलीभीत	पीलीभीत-जहानाबाद मार्ग पर सियाबाड़ी पट्टी से मीरापुर तक	1.20	69.64	3.06	72.70	22.98
87	499	नि0ख0-1 पीलीभीत	सुहास से वाहनपुर मार्ग	1.10	43.08	3.13	46.21	14.22
88	500	नि0ख0-1 पीलीभीत	दियोहना मार्ग से आमडंडा वाया पट्टी	0.70	35.27	2.56	37.83	11.64
89	501	नि0ख0-1 पीलीभीत	ज्योरहा कल्यानपुर से इमलिया मार्ग	1.40	54.26	3.94	58.20	17.91
90	502	नि0ख0-1 पीलीभीत	रम्बोझा चौराहे से पैनिया कटैया	1.50	72.68	5.28	77.96	23.98
91	503	नि0ख0-1 पीलीभीत	परेई पूलिया से उमरिया मार्ग	0.30	27.47	0.66	28.13	9.07
92	504	नि0ख0-1 पीलीभीत	भैंसाई पर्वतपुर से जगीपुर मार्ग	1.20	58.38	3.43	61.81	19.27
93	505	नि0ख0-1 पीलीभीत	बीसलपुर बिलसण्डा मार्ग से पिपरगहना तक सम्पर्क मार्ग (202400003100391)	2.75	130.21	8.04	138.25	42.97
94	506	नि0ख0-1 पीलीभीत	बीसलपुर रढैता मार्ग से खांडेपुर	1.60	80.93	5.88	86.81	26.71
95	507	नि0ख0-1 पीलीभीत	करेली नहर से सराय उर्फ सिरैइया मार्ग	1.40	68.66	4.06	72.72	22.66
96	508	नि0ख0-1 पीलीभीत	कनपरी से महुलिया	1.11	56.49	4.10	60.59	18.64
				128.59	**6567.85**	**413.96**	**6981.81**	**2167.43**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
6. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
7. अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस- 2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।
8. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
9. मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
10. प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है, तो भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अंतर्गत है।
12. निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित मार्गों के लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रस्तावित निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
14. यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित निर्माण ट्रैफिक सर्वे के अनुसार चौड़ीकरण हेतु पी०सी०यू० मानकों का पूर्णतः पालन करते है।
15. परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोतरी न हो इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करना तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. आगणन में सम्मिलित जी०एस०टी० की धनराशि वास्तवित रूप से जिनती देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।
18. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का दायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
19. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की मात्राओं का यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओ के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
20. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत स्वीकृत की गयी है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, सडक की लम्बाई एवं चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
21. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
22. विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

23. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/10-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

24. लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

25. परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

26. उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 21,67,43,000 (रू0 इक्कीस करोड़ सड़सठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/ नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-226-X-2024-25, दिनांक 1-10-2024 में प्राप्त वित्त विभाग के सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीया,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- प्रमुख अभयिन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.upgov.in

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।

11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।

13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।

14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।

16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।

17- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।